न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/367

मन्नालाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम बाडौली तहसील इटावा जिला कोटा हाल निवासी समृद्धि विस्तार बोरखेड़ा

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहसः– श्री अशोक कुमार मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 28.11.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) इटावा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा में खसरा नम्बर 909 की 0–09 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक बजंड भूमि दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 पेश है। उक्त भूमि के पूर्व में सेटलमेन्ट से पूर्व पुराने खसरा नम्बर 128 मिन की भूमि थी जिस पर प्रतिवादी द्वारा सेटलमेन्ट कार्य किया गया तथा खसरा नम्बर मिन 128 के नये खसरा नम्बर 263 की 0–09 हेक्टर भूमि कायम की जाकर वादी के खाते अन्य भूमियों के साथ दर्ज की गयी। नकल मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2041–60 पेश है। उक्त भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी के केचमेन्ट विभाग द्वारा भूसुधार कार्य किया गया जिस पर उक्त खसरा नम्बर 263 के नये खसरा नम्बर 909 की 0–09 हेक्टर कायम किया गया नकल फर्म मिलान केचमेन्ट सन् 2005–2006 पेश है। प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा केचमेन्ट के पश्चात् खसरा नम्बर 909 की 0–09 हेक्टर वादी के खाते दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु सहवन से राज० सरकार के खाते सिवायचक बजंड भूमि दर्ज करदी है

जो गलत है। उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार चला आ रहा है तथा उक्त भूमि उसके खाते की भूमि है। वादी को अपनी भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी के कर्मचारियों ने सहवन व गलती से उक्त भूमि राज० सरकार के खाते दर्ज करदी है। इस पर वादी ने प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों से उक्त भूमि राज० सरकार के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज किये जाने व उसकी किस्म बजंड के स्थान पर नहरी प्रथम दर्ज किये जाने का दिनांक 1–7–2021 को कहा तो प्रतिवादी के कर्मचारियों ने उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज करने से इन्कार कर दिया। यदि प्रतिवादी ने उक्त भूमि राज० सरकार के खाते से हटा कर वादी के खाते दर्ज नहीं की गयी तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवांदी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा. इन्द्राज दुरूस्ती का वाद लाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 909 की 0–09 हेक्टर भूमि को वादी के खाते दर्ज न कर राज० सरकार के खाते दर्ज करने व दिनांक 1–7–21 को उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज नहीं करने की धमकी दी। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे – (अ). कि ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा की खसरा नम्बर 263 की 0–09 हेक्टर के बाद केचमेन्ट नये खसरा नम्बर 909 की 0–09 हेक्टर भूमि राज० सरकार के खाते से हटायी जाकर वादी के खाते दर्ज की जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उसकी किस्म बजंड के स्थान पर नहरी प्रथम दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। (ब). कि प्रतिवादी को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। (स). कि वाद व्यय वादी को प्रतिवादी से दिलायी जावे। (द). कि अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2025 द्वारा वादी अपीलान्ट का वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 66/2021 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है अतः अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. अपील में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि खसरा नम्बर 909 की रकबा 0.09 है० भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलांट के गत खसरा नम्बरान 263 से केचमेन्ट विभाग के द्वारा कायम कर त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसका सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड अपीलाण्ट के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का त्रुटिपूर्ण अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है इसलिये जैर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है। केचमेन्ट विभाग के द्वारा भूसुधार कार्य के दौरान अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि मे से खसरा नम्बर 263 की रकबा 0.09 है० भूमि को गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया जिसका केचमेन्ट विभाग को कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नही था। किन्तु फिर भी केचमेन्ट विभाग के द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया जो कि सर्वथा कानून के विपरीत होने से इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य था किन्तु फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा जमाबंदी सम्वत 2075–2078 एंव मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041–2060 एंव केचमेन्ट विभाग की जमाबंदी सम्वत 2005–2006 आदि प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र को पूर्णतया साबित किया गया किन्तु फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने मे गंभीर कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2025 को निरस्त फरमाया जाकर खसरा संख्या 909 की रकबा 0.09 है० वाके ग्राम बडौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की भूमि को अपीलाण्ट के खातेदारी मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य सहायता जो न्याय संगत हो व अपीलांट को प्रदान फरमाने की कृपा करे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बाडोली तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 909 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि को स्वयं के खाते दर्ज किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी की किस्म बंजड़ के स्थान पर नहरी प्रथम दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 128 मिन थे तथा सेटलमेंट के पश्चात वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर कायम

किए जाकर वादी अपीलांट के खाते अन्य भूमियों के साथ दर्ज की गई, केचमेन्ट विभाग द्वारा किए गए भू–सुधार के द्वारा खसरा संख्या 263 का नया नम्बर 909 रकबा 0.09 हैक्टेयर कायम किया गया परन्तु केचमेंन्ट के कर्मचारियों द्वारा सहवन से सिवायचक बंजड़ दर्ज कर दी जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार पीपल्दा ने अपने पत्रांक 1505 दिनांक 09.10.2024 के द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी खसरा सख्या 128 मिन के भू–प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 के पश्चात नवीन खसरा नम्बर 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर कायम किए जाने एवं वादी के खाते दर्ज किए जाने का अंकन किया है तथा इसी रिपोर्ट में केचमेंट ब्लॉक हरिपुरा बाडोली में सन् 2005–06 में ग्राम बाडोली में किए गए भू–सुधार में खसरा संख्या 263 के नये खसरा संख्या 909 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 910 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर कायम किया जाना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि मन्नालाल पि. रामनाथ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त आराजी भू–प्रबन्ध से पूर्व वादी अपीलांट के खाते दर्ज होना प्रकट होता है तथा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में भू–प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी अपीलांट वादी की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.09.2025 में पुराने खसरा नम्बर 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर से बने वर्तमान खसरा नम्बर 909 में सिर्फ 0.06 हैक्टेयर रकबा शामिल किए जाने का अंकन किया गया है तथा शेष 0.03 हैक्टेयर रकबे बाबत स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होना बताया गया है तथा इसी आधार पर वादी अपीलांट का वाद सिद्ध नहीं होना मानकर खारिज किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 03.09.2025 में अंकित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल केचमेंट ब्लॉक हरिपुरा बाडोली सम्वत् 2005–06 के अनुसार खसरा सख्या 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर के केचमेन्ट के पश्चात खसरा नम्बर 909 रकबा 0.06 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 910 रकबा 0.03 हैक्टेयर बने होना अंकित है। अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 263 रकबा 0.09 हैक्टेयर आराजी के केचमेंट के पश्चात खसरा संख्या 909 रकबा 0.06 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 910 रकबा 0.03 हैक्टेयर बने होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.09.2025 में त्रुटिपूर्ण विवेचन करते हुए खसरा संख्या 263 के शेष 0.03 हैक्टेयर रकबे बाबत स्पष्ट रिपोर्ट नहीं होने के आधार पर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के हक अधिकारों को लेकर विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्निहित है अतः प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्योरांत ही अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण किया जाना संभव है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2025 पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) इटावा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2025 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी सरकार से जवाबदावा लेकर उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम करें। अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.12.2025 को परीक्षण न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा